उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ पर दिनांक 16-2-89 तथा 24-2-89 को हुई उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1989 की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री लाल गुफरान जाहिदी		अध्यक्ष
2-	श्री शंकर अग्रवाल	संयुक्त सचिव, आवास अनुभाग (आवास सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
3-	श्री एस0के0सिन्हा	उप सचिव, वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
4-	श्री जे0पी0भार्गव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
5-	श्री नागिन्दर सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
6-	श्री के0पी0सिंह	अपर आवास आयुक्त	सचिव

बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्रमांक	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 30-12-88 एवं 5-1-89 को हुई बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि।	प्रथम/(1)/89	दिनांक 30-12-88 एवं 5-1-89 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2-	परिषद बैठक दिनांक 30-12-88 एवं 5-1-89 की अनुपालन आख्या।	प्रथम/(2)/89	परिषद द्वारा दिनांक 30-12-88 एवं 5-1-89 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन से परिषद को अवगत कराया गया। परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परिषद द्वारा पिछले दो वर्षों में लिये निर्णय के अनुपालन का अध्ययन निम्न सदस्यों की समिति द्वारा किया जाय:- 1-श्री के0पी0सिंह, अपर आवास आयुक्त। 2-श्री डी0टी0ठाकुर, मुख्य अभियन्ता 3-श्री जे0पी0भार्गव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक। उपरोक्त समिति अपनी आख्या परिषद के समक्ष दो माह के अन्तर्गत प्रस्तुत करेगी। समिति समय-समय पर माननीय अध्यक्ष महोदय से परामर्श भी कर लिया करेगी।
3-	स्वयं वित्त पोषित योजना में जमा धनराशि वापिस लिये जाने पर ब्याज दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(3)/89	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।
4-	आकाशवाणी को भूमि देने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(4)/89	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि जो धनराशि प्राप्त हो चुकी है उस धनराशि को ले ली जाय और भूमि का कब्जा दे दिया जाय। शेष जमीन बाद में धनराशि जमा करने पर दी जायेगी किन्तु भूमि की दर में कोई छूट नहीं दी जायेगी। [illegible]

2	3	4
		धनराशि ब्याज सहित ली जायेगी।
परिषद अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/15/89	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परिषद अधिकारियों/कर्मचारियों को शासन के आदेशों/नियमों/शर्तों के अनुसार ही भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत किया जाय।
परिषद की मझौली योजना सं0-4 भाग-1 मुरादाबाद के भूस्तर में उच्चतम बाढ़ स्तर के परिप्रेक्ष्य में निर्धारण के सम्बन्ध में आख्या।	प्रथम/16/89	परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर परिषद की अगली बैठक दिनांक 24-2-89 को विचार किया जायेगा। बैठक में तकनीकी विशेषज्ञों को भी जिन्होंने इस समस्या का अध्ययन किया है, बुलाया जाय।
शीघ्रलेखक आशुलिपिकों का पदनाम बदलकर सहायक ग्रेड-2 में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/17/89	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
मेडिकल एवं सीवरेज से सम्बन्धित विभिन्न विंगों को मिलाकर एक पृथक संगठन का सृजन किया जाना।	प्रथम/18/89	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सिद्धान्त: स्वीकार किया गया परन्तु यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में शासन से प्रस्ताव/आदेश प्राप्त होने पर पुन: विचार करना होगा।
परिषद अधिकारियों/कर्मचारियों को हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सम्बन्ध में।	प्रथम/19/89	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में शासन को पत्र भेज दिया जाय तब तक के लिये जो चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अर्थात् एक माह के मूल वेतन के बराबर परिषद में पहले से दी जा रही थी वह चालू रहेगी।
परिषद स्तर पर भूमि प्रयुक्त किया जाना।	प्रथम/110/89	परिषद ने विस्तारपूर्वक विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि एक्ट द्वारा परिषद को मिले हुए अधिकारों के अन्तर्गत केवल विशेष परिस्थितियों में भूमि को योजना में समायोजित करते हुए सम्बन्धित व्यक्ति को उसे आवंटन कर दिया जायेगा जिसके लिये आवंटी से विकास शुल्क लिया जायेगा। जिन-जिन विशेष परिस्थितियों में यदि सम्बन्धित व्यक्तियों की आर्थिक हालत को देखते हुये विकास शुल्क भुगतान करना सम्भव न हो तो उनके बारे में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त परिषद के समक्ष प्रस्ताव रखते समय विकास शुल्क माफ करने के बारे में संस्तुति दे सकते हैं। इस प्रकार की संस्तुतियां केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जायेंगी। भूमि को समायोजित करने के बारे में निर्णय परिषद की बैठकों में ही लिया जायेगा।
स्टेनोग्राफर सिविल के पद द्वितीय वेतन-आयोग संस्तुतियां प्राप्त होने एवं हैड सेलेक्शन ग्रेड 300-500 में कार्यरत कार्मिकों को द्वितीय आयोग द्वारा संस्तुत सेलेक्शन ग्रेड/सीनियर ग्रेड 690-890 में वेतन निर्धारण।	प्रथम/111/89	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। यह भी निर्णय लिया कि इसे संस्तुति के पश्चात शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाय।

2	3	4
परिषद मुख्यालय पर 50 के0वी0ए0जनरेटर लगाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(12)/89	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
हार्डवेयर भण्डार का अधिकतम एवं आरक्षित सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(13)/89	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
विशेष परिस्थितियों में ठेकेदारों का किसी समय पंजीकरण किया जाना।	प्रथम/(14)/89	अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।
भूखण्डों/भवनों के प्रतिष्ठित सम्पत्ति के परिवर्तन शुल्क के सम्बन्ध में।	प्रथम/(15)/89	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि निर्णय की तिथि से ही लागू होगी।
भवन/भूखण्ड विक्रय के लाभांश में नियम संशोधन के सम्बन्ध में।	प्रथम/(16)/89	विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि लाभांश की दर को 50 प्रतिशत से 40 प्रतिशत कर दी जाये किन्तु जहाँ तक भूखण्ड पर कमरों आदि का निर्माण करने पर लाभांश आदि माफ करने का विषय है उसके बारे में शासन को पुनः लिखा जाये क्योंकि इस प्रकार की यदि सुविधा दी जाती है तो इसके काफी दुरुपयोग होने की संभावना है। शासन को यह सूचित किया जाये कि इस निर्णय को लागू करने से परिषद को न केवल वित्तीय हानि होगी बल्कि इससे काफी प्रशासनिक एवं व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हो जायगी।
परिषद कर्मचारियों/अधिकारियों को आवंटित सम्पत्ति पर छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(17)/89	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
स्व0श्री मुरली चरन, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के सम्बन्ध में।	प्रथम/(18)/89	परिषद की वर्ष-1980 में प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस विषय पर अध्यक्ष तथा आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया था जिसका परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
स्व0श्री भगवान स्वरूप राजा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता के सम्बन्ध में।	प्रथम/(19)/89	-तदैव-
स्व0श्री शिव कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक अभियन्ता के सम्बन्ध में।	प्रथम/(20)/89	-तदैव-
उ0प्र0शासन द्वारा पुनरीक्षित दरों पर स्वीकृत विभिन्न भत्ते/सुविधायें परिषद के विभिन्न वर्ग के कर्मियों को अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(21)/89	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
22-	कमलानगर परियोजना आगरा के सेक्टर-12 के बाह्य विद्युतीकरण।	प्रथम/122/89	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
23-	इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर-14 में निर्माण हेतु प्रस्तावित शिल्पिंग सेन्टर के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/123/89	परिषद के वर्ष-1980 में प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया था जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
24-	कानपुर में दु०आ०वर्ग एवं म०आ०व०, मुरादाबाद में अ०आ०व० एवं म०आ०वर्ग पीलीभीत में अ०आ०वर्ग एवं दु०आ०वर्ग, आगरा में म०आ०वर्ग, लखनऊ में अ०आ०व० एवं दु०आ०वर्ग तथा चन्दौसी में आ०वर्ग भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/124/89	-तदैव-
25-	कानपुर में दु०आ०व० एवं अ०आ०व०, मेरठ में दु०आ०वर्ग एवं अ०आ०वर्ग शाहजहाँपुर में दुकानें तथा काशीपुर में दु०आ०वर्ग भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/125/89	-तदैव-
26-	इलाहाबाद में 450 दु०आ०वर्ग, हरदोई में 20 दु०आ०व० एवं 10 अ०आ०व० तथा लखीमपुर में 50 दु०आ०वर्ग भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/126/89	-तदैव-
27-	हडको पोषित 4 योजनाओं में स्वीकृत ऋण की शर्तों के सम्बन्ध में।	प्रथम/127/89	-तदैव-
28-	हडको पोषित योजनाओं की प्रतिभूति के रूप में इलाहाबाद बैंक आफ इण्डिया की बैंक गारंटी प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/128/89	-तदैव-
29-	कुर्सी हडको एल०आई०जी० 1 परियोजना सेक्टर-3 एच-10 स्कीम हडको स्कीम सं०-6163 में स्वीकृत ऋण रु० 116.65 लाख की शर्तों के सम्बन्ध में।	प्रथम/129/89	परिषद के वर्ष-1980 में प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया था जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
30-	हडको पोषित भूमि अर्जन योजना सं०-5966, 5967 तथा 5994 के विरुद्ध स्वीकृत रु० 1425 लाख की प्रतिभूति के रूप में निगेटिव लियन के सम्बन्ध में।	प्रथम/130/89	परिषद के वर्ष-1980 में प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया था जिसको परिषद द्वारा निर्णय ले लिया गया था जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
31-	हडको पोषित भूमि योजना गाजियाबाद स्कीम सं०-6304 तथा 6305 की प्रतिभूति के रूप में निगेटिव लियन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	प्रथम/131/89	-तदैव-

1	2	3	4
2-	अलोकप्रिय योजनाओं में सम्पत्तियों के आवंटन करने में सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/132।/89	परिषद के वर्ष-1980 में प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया था जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
3-	परिषद की बरेली योजना सं0-4 भाग-1 मुरादाबाद के [illegible] उच्चतम बाढ़ स्तर के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित के सम्बन्ध में आख्या।	प्रथम/133।/89	विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार आल्टरनेटिव चार्ज के अनुसार कार्यवाही की जाय परन्तु इस बारे में मुख्य अभियन्ता विस्तारपूर्वक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसके अनुसार ही वित्तीय संस्तुति दी जायेगी।
4-	स्वयं वित्त पोषित योजना में जमा धनराशि वापस लिये जाने पर ब्याज दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/134।/89	विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करने के उपरान्त प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी जिसके अनुसार स्वयं वित्त पोषित योजनाओं के भवनों के 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने पर आवंटी द्वारा जमा धनराशि वापस मांगे जाने पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज देते हुए जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी।
5-	विशेष परिस्थितियों में विधवाओं का किसी समय पंजीकरण किया जाना।	प्रथम/135।/89	विस्तारपूर्वक विचार विमर्श करने के उपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया जिसमें यह कहा गया कि यह सुविधा 1 अप्रैल-89 से प्रभावित होने वाले विधवाओं पर लागू होगी जिनके साथ निम्न 3 प्रतिबन्ध और शर्तें लगाये गये:- 1- पंजीकरण के समय विधवा की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, 2- जिन विधवाओं को पंजीकरण के समय सुविधा दी गयी होगी उन्हीं विधवाओं को सम्पत्ति के आवंटन के समय भी सुविधा दी जायेगी। सम्बन्धित विधवाओं को आवंटन के समय इस आशय का प्रमाण पत्र भी देना होगा कि उन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है। 3- पांच वर्ष के पहले सम्पत्ति का परिवर्तन नहीं होगा।
6-	परिषद की आवासीय योजना को फ्रीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।-	प्रथम/136।/89	परिषद द्वारा विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर शासन को शीघ्र निर्णय लेने हेतु लिखा जाय तथा शासन के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। परिषद का अपना यह मत था कि योजनाओं को फ्रीहोल्ड करने से परिषद को काफी वित्तीय तथा प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इस बारे में भी शासन को सूचित कर दिया जाय।
7-	परिषद की शहीद रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखनऊ के ग्राम [illegible]नगर में श्री एस0डी0कपूर आदि की 27 बीघा 5 बिस्वा 19 बिस्वांसी अधिग्रहीत में से 6750 वर्गमीटर भूमि श्री कपूर आदि से समझौता कर अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/137।/89	इस एजेण्डा को स्थगित कर दिया गया।

	2	3	4
38-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद (सर्विस रेगुलेशन्स-1977 के विनियम-5(1) में संशोधन हेतु प्रस्ताव।	प्रस्ताव/(138)/89	यह निर्णय लिया गया कि सैद्धान्तिक तौर पर मानचित्रकों के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। इस बारे में विस्तार पूर्वक टिप्पणी पुनः परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।
39-	प्राविधिक कर्मियों को अन्य तकनीकी कर्मियों की भाँति विशेष शोध भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव/(139)/89	परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उन वास्तुकला मानचित्रकों को जो मुख्यालय या वास्तुकला विंग आदि में कार्य कर रहे हैं उन्हें भत्ता स्वीकृत कर देना चाहिए जो सिविल मानचित्रक खण्डों तथा वृत्तों आदि में कार्यरत हैं उन्हें यह विशेष भत्ता स्वीकृत करने का कोई औचित्य नहीं है। परिषद का यह विचार था कि यदि सिविल मानचित्रकों को विशेष भत्ता स्वीकृत किया जायेगा तो उससे बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जायेंगी तथा सभी अभियन्ता इस बारे में विशेष भत्ता की माँग करेंगे।
40-	उ0प्र0शासन द्वारा पुनरीक्षित दरों पर स्वीकृत विभिन्न भत्ते/सुविधाएं परिषद के विभिन्न वर्ग के कर्मियों को अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव/(140)/89	परिषद द्वारा विस्तारपूर्वक विचार विमर्श करने के उपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया।
41-	गौरीगंज जिला सुल्तानपुर में दि0 4-3-89 से 15-3-89 तक विज्ञान गाँव की ओर "प्रदर्शनी"	प्रस्ताव/(141)/89	परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि गौरीगंज में लगाई गयी प्रदर्शनी में परिषद द्वारा भाग लिया जाय, परन्तु इस पर कम से कम व्यय किया जाये जिसके बारे में आवास आयुक्त अंतिम निर्णय स्वयं ले सकते हैं।
42-	परिषद के रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जाना।	प्रस्ताव/(142)/89	आवास आयुक्त द्वारा यह सूचित किया गया कि परिषद में बहुत से पद रिक्त पड़े हैं जिन्हें पदोन्नति तथा सीधी भर्ती से भरा जाना है। इस बारे में शासन को निम्न पत्र द्वारा शीघ्र अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया:- 1-पत्र सं0-164/प्रशा0-एक-4588 दिनांक 31-1-87 2-अ0शा0प0सं0-252/प्रशा0-एक दिनांक 14-3-88 3-अ0शा0सं0-131/प्रशा0-एक दिनांक 12-8-88 4-अ0शा0सं0-132/प्रशा0-एक दिनांक 12-8-88 5-अ0शा0प0सं0-174/प्रशा0-एक दिनांक 26-9-88 6-अ0शा0प0सं0-175/प्रशा0-एक दिनांक 26-9-88 7-अ0शा0प0सं0-166/प्रशा0-एक दिनांक 7-10-88 8-अ0शा0प0सं0-202/प्रशा0-एक दिनांक 16-10-88 9-अ0शा0प0सं0-1252/पी0एस0/एच0सी0 दि0 15-11-88

2	3	4
		10-आ०शा०प०सं०-245/पुरा०-एक दिनांक 19-12-88 11-आ०शा०प०सं०-275/पुरा०-एक दिनांक 18-1-89 12-आ०शा०प०सं०-276/पुरा०-एक दिनांक 18-1-89 उपरोक्त पत्रों द्वारा परिषद में अभियन्ता संवर्ग, अधिशासी आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबन्धकों, लेखाकार, सहायक लेखाकार, सहायक श्रेणी-2, सहायक श्रेणी-3, मुख्य आशुलिपिक तथा आशुलिपिकों आदि के रिक्त पदों पर भरने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है। अध्यक्ष द्वारा इस बारे में बल दिया गया कि शासन को इन पदों को शीघ्र भरने हेतु अनुमति देने हेतु पुनः लिखा जाये क्योंकि इन रिक्त पदों को शीघ्र न भरने से परिषद को अपने कार्यों को करने में अत्यन्त कठिनाई होगी। सभी सदस्यों की यह राय थी कि शासन से इस बारे में पुनः अनुरोध किया जाय ताकि रिक्त पदों को भर कर परिषद अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो सकता है।
पद सृजन।	पुआस/1431/89	आवास आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद द्वारा निम्न पदों के सृजन हेतु शासन को संस्तुति की गयी थी:- 1-क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (स्तर दो) 2 पद। 2-मुख्य वित्तीय परामर्शदाता एक पद। 3-अतिरिक्त विधि अधिकारी-एक पद। 4-लेखाधिकारी दो पद। 5-सहायक लेखाधिकारी चार पद। 6-वरिष्ठ वास्तुविद नियोजक एक पद। 7-सहायक आवास आयुक्त (एक्स कार्डर) दो पद 8-लेखाकार-6 पद। 9-सहायक लेखाकार 8 पद। 10-आशुलिपिक एक पद। 11- मुख्य सहायक के अतिरिक्त पद। 12-आशुलिपिकों के सेलेक्शन ग्रेड के 8 पद मा० अध्यक्ष जी द्वारा इस बारे में चिन्ता व्यक्त करते हुए यह विचार व्यक्त किया गया कि शासन को इन पदों के सृजन हेतु शीघ्र स्वीकृति देनी चाहिए क्योंकि इन पदों के सृजन हेतु विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करने के उपरान्त ही संस्तुति की गयी है। परिषद के सभी सदस्यों का यह मत था कि शासन को इस बारे में पुनः लिखकर नये पदों के सृजन हेतु स्वीकृति शासन से स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र ली जाय।
नई जलापूर्ति आदि के निगम द्वारा।	पुआस/1441/89	आवास आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया इंजीनियर्स एसोसिएशन तथा डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा परिषद को ज्ञापन दिया गया है जिसमें उन्होंने यह सूचित किया है कि जल निगम के अभियन्ताओं द्वारा शासन पर यह बल दिया जा रहा है कि आवास परिषद की नई योजनाओं की

2	3	4
		जल निगम से कराया जाय। शासन निदेशन द्वारा इस बारे में लखनऊ से कारण बताते हुए यह सुझाव दिया गया है कि यह कार्य आवास परिषद द्वारा ही होना चाहिए तथा इसे जल निगम से नहीं कराना चाहिए। मा० अध्यक्ष जी ने इस बारे में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि यदि यह कार्य जल निगम से कराया जायेगा तो वहाँ पर बहुत देरी हो सकती है, वित्तीय व्यय भी अधिक होगा तथा संचालित का आवंटन स्पष्ट करने में काफी विलम्ब होगा। मा० अध्यक्ष जी ने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए सूचित किया कि कर्नाटक आवास परिषद द्वारा पहले एक प्रकार की व्यवस्था की थी परन्तु उसमें काफी कठिनाई हुई। आवास आयुक्त द्वारा सूचित किया गया कि इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान ने भी की जा रही थी वहाँ भी इस बारे में काफी कठिनाई हो रही थी। परिषद के सभी सदस्यों का यह मत था कि परिषद की योजनाओं की जलापूर्ति, सीवरेज तथा ड्रेनेज आदि का कार्य आवास परिषद द्वारा किया जाय तथा उक्त कार्य जल निगम से न कराये जाने के बारे में परिषद के निर्णय से शासन को भी अवगत करा दिया जाय।
अभियन्ताओं का समयबद्ध वेतनमान निर्धारित होना।	प्रशास/1451/89	अभियन्ताओं द्वारा यह माँग की जा रही है कि उन्हें मा० मुख्य मंत्री जी के स्तर पर कुछ समय पूर्व लिये गये निर्णय के अनुसार समयबद्ध वेतनमान देना चाहिये विशेष तौर पर अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ताओं को। आवास आयुक्त द्वारा यह सूचित किया गया कि शासन स्तर पर जल निगम के अभियन्ताओं को समयबद्ध वेतनमान दिये जाने के बारे में विचार-विमर्श हो रहा है। यह उचित होगा कि आवास परिषद द्वारा शासन को पुनः लिख दिया जाये कि जल निगम के अभियन्ताओं के बारे में निर्णय लेते समय शासन आवास परिषद के अभियन्ताओं के बारे में भी निर्णय ले ले ताकि इस बारे में बाद में कठिनाई न हो। परिषद के सभी सदस्यों द्वारा आवास आयुक्त के इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस बारे में पुनः ही लिखा जाय।
कार्य प्रभारित कर्मचारियों के रिक्त पदों पर मस्टर रोल कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाना।	प्रशा/1461/89	आवास आयुक्त द्वारा सूचित किया गया कि कार्य प्रभारित कर्मचारियों के बहुत से रिक्त पड़े हैं। जिन पर मस्टर रोल कर्मचारियों द्वारा बार-बार माँग की जा रही है कि उनको तैनात कर दिया जाय। आवास आयुक्त द्वारा सूचित किया गया इस बारे में शासन से अनुमति लेने हेतु निम्न पत्र भी भेजे जा चुके हैं:- 1- अ०सा०प०सं०-239/प्रशा०-एक दि० 08-12-98 2- अ०सा०प०सं०-271/प्रशा०-एक-दि० 07-1-89 3- अ०सा०प०सं०-295/प्रशा०-एक दि० 01-2-89 4- अ०सा०प०सं०-318/प्रशा०-एक दि० 13-2-89 आवास आयुक्त द्वारा सूचित किया

1	2	3	4
			गया कि कुछ कर्मचारियों द्वारा परिषद के समक्ष प्रदर्शन किया जा रहा है तथा निकट भविष्य में मा0 राज्य मंत्री जी के समक्ष भी प्रदर्शन आदि करने की योजना बना रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी द्वारा यह राय व्यक्त की गई कि इस बारे में शासन को अनुमति लेने हेतु शीघ्र लिखा जाय क्योंकि जो कार्य प्रभारित कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हैं उन्हें मस्टर रोल कर्मचारियों से भरने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। परिषद के सभी सदस्यों द्वारा यह राय व्यक्त की गई कि कार्य प्रभारित कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्राप्त भरने हेतु शासन से अनुमति लेने के लिए लिखा जाय।

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष

फैवालेन-16-3-89